



मिशन शक्ति 5.0



कोतवाली कायमगंज





मिशन शक्ति 5.0



महिला थाना





मिशन शक्ति 5.0



थाना कम्पिल



Fatehgarhpolice





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



#Fatehgarhpolic

थाना कादरीगेट





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



थाना अमृतपुर





मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



थाना कमालगंज

#MissionShakti



मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



कोतवाली फर्रुखाबाद



मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़



थाना मऊदरवाजा



मिशन शक्ति 5.0



थाना राजेपुर





मिशन शक्ति 5.0



1090



थाना मेरापुर



थाना नवाबगंज

दि०-21.01.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान व “ मिशन शक्ति 5.0 ” के दृष्टिगत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त अनुपम उर्फ गोलू पुत्र प्रेमचन्द्र निवासी ग्राम रामपुर थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध मु०अ०सं०-231/2022 वाद संख्या 189/2023 189/2023 धारा 354,376,323,504,506,452 भा०द०वि० व 3(i)द//3(i)ध व 3(2) v एससी/एसटी एक्ट थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहररि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते मा० न्यायालय एडीजे-द्वितीय एससी/एसटी एक्ट द्वारा दिनांक 21.01.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 10 वर्ष का साधारण कारावास की सजा व 60 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी श्री कृष्णकुमार पाण्डेय



एडीजीसी- श्री अनुज कटियार



को० मो० हे०का० प्रमोद



पैरोकार का० कृष्णवीर सिंह